

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 901/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पंथ्यापौड़ी हल्का वाहन मार्ग का विस्तार किमी 9.400 से किमी 16.400 तक चौड़ीकरण एवं सुधार कार्य।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/

प्रमाणित वन/प्रमाणित
प्रमाणित वन/प्रमाणित
प्रमाणित वन/प्रमाणित

वन क्षेत्राधिकारी
अरकोट